न्यायालय— मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बेतिया

योगापटटी नवलपुर — 74/2021

दिनांक—13/01/2023

योगापटटी नवलपुर थाना कांड संख्या —74/2021 के अन्तर्गत दिनांक 08/01/2023 से काराबंदी अभियुक्त विनोद यादव की ओर से उनका जमानत आवेदन को संचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता की ओर से कथन किया गया कि वह निर्दोष हैं। उसे इस वाद में झूठा फंसाया गया हैं। उसके द्वारा कोई दूसरा जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया हैं। वह न्यायालय के संतुष्टि के आधार पर किसी भी राशि का बंधपत्र देने को तैयार हैं। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाय। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान जिला अभियोजन पदा0 को प्रदान की गयी।

विद्वान जिला अभियोजन पदाधिकारी की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

सूचक लोरिक यादव के लिखित आवेदन में वर्णित अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 17/02/2021 को 08:00 बजे सुबह में सूचक अपने परिवार के साथ छोढा पर था और पशु का चारा डाल रहा था। कि तभी अचानक बलिस्टर यादव, गौरी यादव, शमु यादव, अवधेश यादव, विनोद यादव, नरेश यादव, केदार यादव, पन्नालाल यादव, झगरू यादव, दिनेश यादव, बृजेश यादव, सतन यादव, मदन यादव, साधु यादव, नन्दलाल यादव हाथो हाथ लाठी, भाला फरसा , गडासा एवं लोहे के राड लेकर सूचक के छोढा पर आ गये तथा मरे छोढा पर आ गये तथा सूचक छोढा को घेर लिये गौरी यादव गाली देकर बोला कि आज साले को छोडना नही है जान से मार देना है। कि शम्भु यादव सूचक को पकडना चाहा इतने में सूचक तरह किसी तरह जानबाकर घर में भागा तब मारो—मारो करते सभी घर में घुस गये और सूचक को पकडकर घसीटते दरवाजे पर लाये। तथा सभी मारने लगे तभी वलिस्टर यादव सूचक को जान मारने के नियत से अपने हाथ में लिये फरसा से सूचक के माथे पर मारा जिससे सूचक के बाया तरफ लगा और कट गया तथा खून बहने लगा। सूचक कराहते हुए घाटी पर गिर गया तो दुबारे फरसा चलाया तब सूचक का दाहिना पैर पर लगा और कट गया जब सूचक बचाने लालजी यादव आये तो अवधेश यादव अपने हाथ में लिये लोहे के राड से लालजी यादव को जान मारने के नियत से मारे जो उनके दाहिने पैर में लग गया और फूल गया तब तक प्रकाश यादव बीच —बचाव के लिये आये तो उन्हें फरसा पलट कर विनोद यादव ने मारा जो रोकने के क्रम में दाहिना हाथ में लगा अगुली टुट गया। जख्मी हालत में वही तीनो को अन्य सभी लाठी, फआ से मारकर गंम्भीर रूप से जख्मी कर दिया गया और सतन यादव, झगरू यादव, केदार यादव बोले कि शाले को यहां से उजाड कर भगाओ और सभी लोग मिलकर सूचक को बर्बाद कर दिये तथा उसमें रखा सभी सामान आदि लूट ले गये। हल्ला होने पर गॉव के लोग आये तब सभी लोग वहॉ से भागे और धमकी भी दिये कि हत्या कर देगे।

उभय पक्षों को सुना एवं वाद अभिलेख का अवलोकन किया। वाद अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है। इस वाद में भा0 द0 वि0 की धारा 341, 323, 324, 325, 307, 427, 379, 504, 506/34 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है, जिसमें भा0 द0 वि0 की धारा 307, 379/34 अजमानतीय है। सूचक ने आवेदक अभियुक्त पर मारपीट, गाली गलौज, हर्वे हथियार से जानलेवा हमला करने एवं चोरी करने का आरोप लगाया है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये आरोप की गंभीरता को देखते हुए यह न्यायालय आवेदक अभियुक्त कों जमानत की सुविधा का लाभ देना न्यायोचित नहीं समझती है। तदनुसार आवेदक अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन दिनांक 11/01/2023 खारिज किया जाता है।

लेखापित

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी